न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक– 24 दिनांक– 03.04.2025

: : कार्यालय आदेश : :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय के गत कार्यालय आदेश क्रमांक 19 दिनांक 09.12.2024 द्वारा आरक्षी केन्द्र टाडगढ, जवाजा, साकेत नगर, ब्यावर सदर, ब्यावर सिटी के द्वारा बनाये जाने वाले मोटर वाहन अधिनियम व 60 पुलिस एक्ट के प्रकरणों की सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–02, ब्यावर को प्रदान किया गया था। उक्त आदेश क्रमांक 19 दिनांक 09.12.2024 में प्रदत्त आरक्षी केन्द्र टाडगढ, जवाजा, साकेत नगर, ब्यावर सदर, ब्यावर सिटी के द्वारा बनाये जाने वाले मोटर वाहन अधिनियम व 60 पुलिस एक्ट के प्रकरणों की सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–02, ब्यावर से प्रत्याहृत कर इनकी सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–03, ब्यावर को प्रदान किया जाता है।

शेष आदेश यथावत रहेगा।

नोट :– 1. आदेश आज दिनांक 03.04.2025 से प्रभावी रहेगा।

2. आदेश की दिनांक तक दर्ज एवं पेशशुदा एम.वी. एक्ट प्रकरणों की सुनवाई व निस्तारण का क्षेत्राधिकार पूर्ववत न्यायालय को ही रहेगा।

{प्रकाश चन्द्र मीणा}
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर। 03.04.2025

क्रमांक – 1019–1031 दिनांक – 03.04.2025

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को सादर प्रेषित है :–

01. माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर।
02. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / संख्या–01 / 02 / 03, ब्यावर।
03. न्यायिक मजिस्ट्रेट / संख्या–01 / 02 / 03, ब्यावर।
04. पुलिस अधीक्षक, ब्यावर।
05. थानाधिकारी टाडगढ, जवाजा, साकेत नगर, ब्यावर सदर, ब्यावर सिटी।
06. उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर।
07. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को जिला न्यायालय की Website पर uplodad करें।
08. कार्यालय प्रति।

{प्रकाश चन्द्र मीणा}
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अजमेर। 03.04.2025